1/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सम्मन तामिल डाक से भेजे एक माह से अधिक का समय हो चुका है। सम्मन अदम तामिल लौटकर प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः तामिल सम्यक मानी जाती है।

अप्रार्थीगण का जवाब बंद किया जाता है।

बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई। बहस वकील प्रार्थी के आधार पर वाद के चरण सं. (2) में वर्णित वादग्रस्त आराजी पर उभयपक्षों की तर्फे सलावार मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, [illegible] (पुर)